ऑन लाईन नं. RCMS 2023/107

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 21/2023

1. महेन्द्र पाहुजा पुत्र स्व. श्री भगवानदास, जाति अरोड़ा निवासी 533 अशोक नगर–बी श्रीगंगानगर (राज0)।
2. राजरानी पुत्री स्व. श्री भगवानदास पत्नी श्री सुनील भाटिया जाति अरोड़ा निवासी पूजा कॉलोनी, गली नम्बर–1 श्रीगंगानगर (राज0)। जरिये मुख्तयारेखास महेन्द्र पाहुजा पुत्र स्व. श्री भगवानदास।
3. कृष्णा रानी पुत्री स्व. श्री भगवानदास पत्नी श्री राजकुमार जाति अरोड़ा निवासी नई आबादी, गली नम्बर–11, अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)। जरिये मुख्तयारेखास महेन्द्र पाहुजा पुत्र स्व. श्री भगवानदास।
4. हेमन्त पाहुजा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी 203 इन्द्रा कॉलोनी, गली नम्बर–8 श्रीगंगानगर (राज0)। जरिये मुख्तयारेखास महेन्द्र पाहुजा पुत्र स्व. श्री भगवानदास।
5. सुमित पाहुजा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी 203 इन्द्रा कॉलोनी, गली नम्बर–8 श्रीगंगानगर (राज0)। जरिये मुख्तयारेखास महेन्द्र पाहुजा पुत्र स्व. श्री भगवानदास।
6. निशा पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी 203 इन्द्रा कॉलोनी, गली नम्बर–8 श्रीगंगानगर (राज0)। जरिये मुख्तयारेखास महेन्द्र पाहुजा पुत्र स्व. श्री भगवानदास।
7. महेन्द्र पाहुजा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी 533 अशोक नगर–बी, श्रीगंगानगर (राज0)। जरिये मुख्तयारेखास महेन्द्र पाहुजा पुत्र स्व. श्री भगवानदास।

अपीलार्थी

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

1. नरेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चंद उर्फ दिवान चंद जाति अरोड़ा निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1.श्री विशाल मक्कड़ , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री सुरेश कुमार अरोड़ा, रेस्पोडेन्ट संख्या–1

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 20.01.2017 न्यायालय उप–तहसीलदार चूनावढ अनुवानी द्वारा प्रकरण संख्या 09/2016 अनवानी परमेश्वरी देवी बनाम नरेश कुमार में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 20.01.2017 जिसके द्वारा इन्तकाल नरेश कुमार के नाम से करने के आदेश दिये गये को निरस्त करने हेतु।

::आदेश:: दिनांक :–27.02.2026

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :-

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज भगवान दास पुत्र कानाराम के पिता कानाराम पुत्र नारायण सिंह के चार लड़के अजनाम सतनाम राम, भगवान दास, जयराम , दीवानचंद व एक पुत्री परमेश्वरी देवी थी। स्व. कानाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी चक 16 जे छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर व चक 15 जे छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित कुल कृषि भूमि 39 बीघा पांचों वारिसान् पर सम्भागों में न्यायगत हुई और इस सम्बन्ध में कानाराम के पांचो वारिसान के मध्य जनवरी 1979 में मौखिक बंटवारा हुआ और इस मौखिक बंटवारानामा के तहत सभी वारिसान को आवंटित भूमि पर बंटवारानामा की पालना में काबिज हो गये और परमेश्वरी देवी के हिस्सा में कुल 7.00 बीघा भूमि आयी। इस मौखिक बंटवारा की निरंतरता में दिनांक 23.02.1979 को सभी भाईयों व बहनों के मध्य बंटवारानामा का ज्ञापन निष्पादित किया गया और इस बंटवारानामा में बंटवारानामा के अन्तर्गत परमेश्वरी देवी को आवंटित भूमि जब तक वह जीवित है वह काश्त करेंगी तथा अपना खर्च चलाऐगी क्योंकि परमेश्वरी देवी के पति ने उसे छोड़ रखा है तथा परमेश्वरी देवी के देहान्त के पश्चात् उसकी 7 बीघा भूमि 4 भाईयों में सम्भागों में बांटी जावेगी। यह बंटवारानामा दिनांक 23.02.1979 को सभी पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा व स्वस्थचित से निष्पादित किया गया और एक्ट अपोन कर लिया गया और इस बंटवारानामा की पालना में परमेश्वरी देवी द्वारा दिनांक 18.08.1988 को एक दस्तावेज निष्पादित किया गया जिसमें उस द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उसके देहांत के पश्चात उसके हिस्सा की 7 बीघा भूमि चारों भाईयों में सम्भागों में बांटी जावेगी।

यह कि परमेश्वरी देवी के पति के देहान्त के उपरांत उसकी कोई संतान नहीं होने के कारण परमेश्वरी देवी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके सोचने समझने की शाक्ति भी समाप्त हो गई थी, उसे अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं था और परमेश्वरी देवी की ऐसी असंतुलित मानसिक अवस्था का लाभ उठाते हुए नरेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द उर्फ दिवान चन्द्र के द्वारा परमेश्वरी देवी को बिना बताये बिना समझाये असंतुलित, मानसिक अवस्था में दिनांक 19.03.2001 को सौदागर सिंह, शंकर प्रसाद शर्मा व ज्ञान चन्द्र उर्फ दिवान चन्द्र के साथ साजिश कर वसीयत निष्पादित करवा ली जो कि परमश्वरी देवी की होशो हवास व सही मानसिक स्थिति में निष्पादित नहीं की गई बल्कि नरेश कुमार द्वारा विश्वासिक सम्बन्धों व परमेश्वरी देवी की ज्ञान चन्द्र पर निर्भरता व अन्यथा लाभ उठाते हुए परमेश्वरी देवी को बिना बताये वसीयत पर अंगूठे लगवाये गये है। उक्त अंगूठो को गौर से देखते ही पता चलता है कि इस तथाकथित वसीयत के आधार पर नरेश कुमार द्वारा कभी भी इंतकाल नहीं करवाया गया जबकि परमेश्वरी देवी की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी है, इस प्रकार से तथाकथित वसीयत दिनांक 19.03.2001 अपीलार्थीगण के अधिकार पर प्रभाव शून्य है।

यह कि प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रकार उक्त वर्णित तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर वर्ष 2017 में इंतकाल के लिए आवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2017 को आदेश पारित किया गया जो कि तथ्यों व

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

परिस्थितियों तथा विधि विरूद्ध होने के कारण निम्न आधारों पर अपास्त किये जाने योग्य है। प्रमाणित निर्णय दिनांकित 20.01.2017 शामिल अपील है।

क.) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू.अ. चूनावढ का निर्णय दिनांकित 20.01.2017 विधि विरूद्व व तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

ख.) यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित वसीयत के गवाहों द्वारा जो बयान दिये गये है उनमें वसीयत की तिथि दिनांक 19.01.2003 अंकित की गई है जबकि वसीयत दिनांक 19.03.2001 की बनाई गई है, इस प्रकार से माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित वसीयत के गवाहों के बयान से ही प्रमाणित था कि वह वसीयत फर्जी व साजिशी वसीयत है, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर ना कर उक्त आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

ग.) यह कि नरेश कुमार द्वारा 2001 की वसीयत का इंतकाल 2017 तक क्यों नहीं करवाया गया जबकि परमेश्वरी देवी की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी थी, यह तथ्य अत्याधिक संदेहजनक है परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर लैश मात्र गौर नहीं किया गया ना ही नरेश कुमार द्वारा इस देरी का कोई स्पष्टीकरण ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिया गया है, ऐसी अवस्था में माननीय अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल दर्ज करने का कोई अधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं था परन्तु उन द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए इंतकाल दर्ज किया गया है जो कि निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

घ.) यह कि तथाकथित वसीयत प्रथम दृष्टया फर्जी है क्योंकि इस पर अरजनवीस द्वारा यह प्रमाण--पत्र नहीं दिया गया है कि वसीयत उस द्वारा निष्पादनकर्ता परमेश्वरी देवी को पढ़कर , सुनकर समझा दी गई है और उस द्वारा उक्त दस्तावेज का निष्पादन स्वीकार किया गया है, ऐसी अवस्था में बिना प्रमाण–पत्र के वसीयत फर्जी व साजिशी प्रमाणित है। परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर ना कर उक्त आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

ड़) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवार के सम्बन्धित सदस्यों के नाम पते प्राप्त किये जाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया जाना आवश्यक था परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा ना करके विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है, इसलिए इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है।

छ.) यह कि अन्य आधार व तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

2. यह कि नरेश कुमार द्वारा इंतकाल करवाये जाने का तथ्य कभी भी परिवार के समक्ष उजागर नहीं किया गया और सदैव ही तथ्य को छिपाये रखा तथा स्व. भगवानदास वृद्ध व बीमार व्यक्ति थे जो कि अधिक चल फिर नहीं सकते थे, इस कारणवंश उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि नरेश कुमार द्वारा वसीयत का इंतकाल 2017 में करवा लिया गया है और अब अपीलार्थी महेन्द्र पाहुजा द्वारा मुकदमें की पैरवी करना प्रारम्भ कर दिया गया है और पत्रावली को अध्ययन करने पर तथा अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त होने पर यह अपील की जानी आवश्यक हो गई है, ऐसी अवस्था में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

में विधिक राय प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के तुरन्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील का ज्ञापन प्रस्तुत कर अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर, निर्णय व आदेश दिनांक 20.01.2017 न्यायालय उप तहसीलदार भू0अ0 चूनावढ द्वारा प्रकरण संख्या 09/2016 शीर्षक परमेश्वरी देवी बनाम नरेश कुमार में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 20.01.2017 जिसके द्वारा इन्तकाल नरेश कुमार के नाम से करने के आदेश दिये गये को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने रेस्पोडेन्टस नरेश कुमार वगैरा की ओर से निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है :-

1. यह कि उपरोक्त अनवान की अपील अपीलान्ट द्वारा उप-तहसीलदार चूनावढ के आदेश दिनांकित 20.01.2017 के विरूद्व इन तथ्यों के साथ पेश की है कि उप-- तहसीलदार चूनावढ द्वारा दिनांक 20.01.2017 को जो नरेश कुमार के नाम से इन्तकाल वसीयत दिनांक 19.03.2021 जो परमेश्वरी देवी द्वारा बताई है वह अपीलांट के अधिकारों पर प्रभावशून्य है और उक्त वसीयत करने का परमेश्वरी देवी को कोई अधिकार नहीं था तथा परमेश्वरी देवी की मृत्यु वर्ष 2009 में हुई व इन्तकाल वर्ष 2017 में अंकित किया गया है जो सन्देहास्पद प्रतीत होता है तथा उक्त इन्तकाल की जानकारी के सम्बन्ध में अपील की मद संख्या-2 में अंकित किया है कि वकीलों द्वारा राय दी गई कि इन्तकाल को निरस्त करवाया जावें। इस कारण यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जानी बताई गई है।
2. यह कि सर्वप्रथम तो यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि उक्त अपील मियाद बाहर है, जबकि इसी वसीयत के सम्बन्ध में एक वाद अपीलान्ट के पिता भगवान दास द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, (क.ख.) श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 24.09.2019 को प्रस्तुत किया जिसमें भी यही अनुतोष चाहा गया है कि परमेश्वरी देवी द्वारा की गई वसीयत दिनांकित 19.03.2001 को वादी के अधिकारों पर प्रभावशून्य घोषित किया जावें तथा वसीयत की जानकारी माह जून 2019 में होनी अपने वाद पत्र की मद संख्या-8 में बताई है, जब वसीयत व इन्तकाल की जानकारी वर्ष 2019 में हो गई तो उस स्थिति में अपील की मियाद मात्र एक माह है। इस प्रकार से तारीख ज्ञान से उक्त अपील मियाद बाहर है, जैसा कि सम्माननीय सर्वोच्च्व न्यायालय द्वारा भी अपने न्यायिक दृष्टान्त में D.N.J.2023(1) S.C.Page 275 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मियाद का बिन्दू एक मुख्य बिन्दू है और मियाद के बाहर जाकर अपीलान्ट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस कारण यह अपील मात्र मियाद बाहर होने के आधार पर ही निरस्त होने योग्य है।
3. यह कि दूसरा बिन्दू इस अपील में यह है कि जब इसी अपील की विषयवस्तु के सम्बन्ध में मूल वाद जो सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में अपील पोषणीय नहीं है और अपील की कार्यवाही को इसी आधार पर स्थगित कर देना

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

चाहिए , जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक दृष्टान्त R.R.D. 1992 Page 304 की चरण संख्या 10 में अपनी विवेचना देते हुए यह अंकित किया गया है कि जब मूल वाद में ही उक्त बिन्दु सभी पक्षकारान की साक्ष्य के उपरान्त निर्णित होना है तो ऐसी स्थिति में Physical proceeding को मूल वाद के निर्णय तक रोक देना चाहिए। इस कारण भी उक्त अपील में आज की स्थिति में मूल वाद के निर्णय तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील इसी स्तर पर ही निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण के पूर्वज भगवान दास पुत्र कानाराम के पिता कानाराम पुत्र नारायण सिंह के चार लड़के क्रमशः सतनाम राम, भगवान दास, जयराम , दीवानचंद व एक पुत्री परमेश्वरी देवी थी। स्व. कानाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी चक 16 जे छोटी व चक 15 जे छोटी में स्थित कुल कृषि भूमि 33 बीघा पांचों वारिसान पर समभागों में न्यायगत हुई और इस सम्बन्ध में कानाराम के पांचों वारिसान के मध्य जनवरी 1979 में मौखिक बंटवारा हुआ और इस मौखिक बंटवारानामा के तहत सभी वारिसान बंटवारानामा की पालना में काबिज हो गये और परमेश्वरी देवी के हिस्सा में कुल 7.00 बीघा भूमि आयी। इस मौखिक बंटवारा की निरंतरता में दिनांक 23.02.1979 को सभी भाईयों व बहनों के मध्य बंटवारानामा का ज्ञापन निष्पादित किया गया और इस बंटवारानामा के अन्तर्गत परमेश्वरी देवी को आवंटित भूमि जब तक वह जीवित है वह काश्त करेगी तथा अपना खर्च चलाएगी क्योंकि परमेश्वरी देवी के पति ने उसे छोड़ रखा था तथा परमेश्वरी देवी के देहान्त के पश्चात् उसकी 7 बीघा भूमि सभी चारों भाईयों में समान रूप में बांटी जावेगी। यह बंटवारानामा दिनांक 23.02.1979 को सभी पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा व स्वस्थचित से निष्पादित किया गया और पक्का अपीन कर लिया गया और इसी बंटवारानामा की पालना में परमेश्वरी देवी द्वारा दिनांक 18.08.1988 को एक दस्तावेज निष्पादित किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि उसके देहांत के पश्चात उसके हिस्सा की 7 बीघा भूमि चारों भाईयों में समान रूप में बांटी जावेगी। परमेश्वरी देवी की मानसिक अवस्था का लाभ उठाते हुए नरेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द उर्फ दिवान चन्द के द्वारा परमेश्वरी देवी को बिना बताये बिना समझाये असंतुलित, मानसिक अवस्था में दिनांक 19.03.2001 को सौदागर सिंह, शंकर प्रसाद शर्मा व ज्ञान चन्द्र उर्फ दिवान चन्द्र के साथ साजिश कर वसीयत निष्पादित करवा ली जो कि परमेश्वरी देवी की होशो हवास व सही मानसिक स्थिति में निष्पादित नहीं की गई बल्कि नरेश कुमार द्वारा विश्वासिक सम्बन्धों व परमेश्वरी देवी की ज्ञान चन्द पर निर्भरता व अन्यथा लाभ उठाते हुए परमेश्वरी देवी को बिना बताये वसीयत पर अंगूठे लगवाये गये है। परमेश्वरी देवी की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी थी जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर इन्तकाल के लिए वर्ष 2017 आवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2017 को आदेश पारित किया गया जो कि तथ्यों व परिस्थितियों तथा विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०), श्रीगंगानगर

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में मियाद के बिन्दु पर मियाद के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा इंतकाल करवाये जाने का तथ्य कभी भी परिवार के समक्ष उजागर नहीं किया गया और सदैव ही तथ्य को छिपाये रखा तथा स्व. भगवानदास वृद्ध व बीमार व्यक्ति थे जो कि अधिक चल फिर नहीं सकते थे , इस कारणवंश उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि नरेश कुमार द्वारा वसीयत का इंतकाल 2017 में करवा लिया गया है और अब अपीलार्थी महेन्द्र पाहुजा द्वारा मुकदमें की पैरवी करना प्रारम्भ कर दिया गया है। पत्रावली का अध्ययन करने पर तथा अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त होने पर यह अपील की जानी आवश्यक हो गई है, ऐसी अवस्था में विधिक राय प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के तुरन्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई थी। अतः मियाद के बिन्दु को कण्डोन करते हुए अपील का निर्णय अपील में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर किया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलकृत आदेश दिनांक 20.01. 2017 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट में मौखिक बंटवारानाम हुआ था, मौखिक बंटवारा की निरंतरता में दिनांक 23.02.1979 को सभी भाईयों व बहनों के मध्य बंटवारानामा का ज्ञापन निष्पादित किया गया और इस बंटवारानामा के अन्तर्गत परमेश्वरी देवी को आवंटित भूमि जब तक वह जीवित है वह काश्त करेंगी तथा अपना खर्च चलाऐगी तथा परमेश्वरी देवी के देहान्त के पश्चात् उसकी 7 बीघा भूमि सभी चारों भाईयों में सम्मान रूप में बांटी जावेगी। यह बंटवारानामा दिनांक 23.02.1979 को सभी पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा व स्वस्थचित से निष्पादित किया गया और एक्ट अपोन कर लिया गया और इसी बंटवारानामा की पालना में परमेश्वरी देवी द्वारा दिनांक 18.08.1988 को एक दस्तावेज (दस्तबरदारी) निष्पादित किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि उसके देहांत के पश्चात उसके हिस्सा की 7 बीघा भूमि चारों भाईयों में सम्मान रूप में बांटी जावेगी।

रेस्पो० के अधिवक्ता का तर्क है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा इसी वसीयत के सम्बन्ध में एक वाद अपीलान्ट के पिता भगवान दास द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, (क.ख.) श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 24.09.2019 को प्रस्तुत किया जिसमें भी यही अनुतोष चाहा गया है कि परमेश्वरी देवी द्वारा की गई वसीयत दिनांकित 19.03.2001 को वादी के अधिकारों पर प्रभावशून्य घोषित किया जावें। जिससे अपीलांट को वसीयत की जानकारी दिनांक दिनांक 24.09.2019 से है। वसीयत की जानकारी अपीलार्थीगण को वर्ष 2019 न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, (क.ख.) श्रीगंगानगर में प्रस्तुत वाद पत्र होना प्रमाणित है किन्तु उक्त आदेश की अपील की जा सकती है के बारे में ज्ञान अपीलांट को ऐसा नहीं माना जा सकता। जिसके बारे में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में भी अंकित किया है। अतः मियाद का बिन्दु पर अपील खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जहाँ तक वसीयत के फर्जी होने का प्रश्न है, तथाकथित वसीयत के फर्जी होने अथवा नहीं होने के संबंध में निर्णय पारित करना इरा न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता में नहीं है। फर्जी वसीयत के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

जहाँ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित वसीयत प्रकरण 09/2016 अनवानी परमेश्वरी देवी बनाम नरेश कुमार में पारित आदेश दिनांक 20.01.2017 को पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन भूमि बंटवारानामा दिनांक 23.02.1979 से परमेश्वरी देवी को अपीलाधीन भूमि में जीवन व्यतीत तक अधिकार दिये थे और बंटवारा दोनो पक्ष स्वीकार करते है। पत्रावली में उपलब्ध परमेश्वरी देवी द्वारा निष्पादित दस्तबरदारी दिनांक 18.08.1988 से उक्त बंटवारानामा से प्राप्त हिस्सा अपने चारों भाईयों के पक्ष में तर्क कर दिया था, और परमेश्वरी ने अपना हिस्सा तर्क कर देने से अपीलांट के पिता व पिता के भाई हकदार व हिस्सेदार हो गये थे। परमेश्वरी देवी द्वारा अपना हिस्सा दस्तबरदारी से तर्क कर देने से परमेश्वरी देवी वसीयत करने में सक्षम थी या नही के बिन्दु की जांच की जानी है। इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में सिविल वाद भी लम्बित होना दोनो पक्ष स्वीकार करते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना लोक सम्मत , लोक अखबार में करवाई गई है क्योंकि अखबार किसी जगह पहुंचता है किसी जगह नहीं और कोई अखबार पढ़ता है और कोई नहीं भी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को वसीयतकर्ता के वारिसान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलांट जोकि वसीयतकर्ता परमेश्वरी देवी के भाई है जिसे न्यायहित में सुना जाना आवश्यक था जिसे सुना नहीं गया है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार चूनावढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति उप तहसीलदार चूनावढ को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।